

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
RASHTRIYA SWABHIMAAN KHEL PARISAR
PITAMPURA, DELHI – 110034

File No. –SP/RSKP/0044/2021/F1/RSKP/829

Date: - 24.05.2024

Auction Notice No.01/RSKP/DDA/2024-25 (1st Recall)

The auction for unserviceable and Scrap Civil/Horticulture/Electrical items of Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar, Pitampura will be held on as is where is basis on date, time and place shown below. The details of the materials can be inspected at the auction site of Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar during office hours on any working day between 02.30 PM to 4.00 PM in the Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar premises.

Before start of bid each bidder is required to deposit Rs. 10000/- as earnest money in the form of DD in favour of “CAU SPORTS DDA” which will be refundable after the auction is completed except for the highest bidder who shall deposit 25% of the final bid amount plus GST as applicable after adjusting earnest money of Rs. 10000/- as precaution money. Balance amount of 75% of the final bid amount shall be deposited through Bank Draft plus GST as applicable in favour of “CAU SPORTS DDA” within 20 days from the date of issue of demand/acceptance letter or any extension thereof. In case the amount is not deposited within the stipulated period the entire precaution money (25% of the offered amount) deposited by the bidder shall be forfeited absolutely and no claim on this account will be raised in any forum or court. The bidder shall be informed accordingly. However, the Commissioner (Sports), DDA reserves the right to reject any bidder without assigning any reason whatsoever.

Venue of Auction : **Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar, DDA, Pitampura, Delhi – 110034**
Reserve Price : **Rs. 3, 41, 516/- plus GST applicable.**
Date & Time : **11 June 2024 at 2.30 PM**

Conditions:

1. No T&P shall be issued by the Department.
2. Bidder should have a valid GST registration.
3. The agency will be responsible if any loss/damage/injury/, mishappening caused during the time period of work and removal of item. The agency will lift the items as per orders/instructions of Secretary/RSKP, A.E (Civil)/RSKP, R.E (Civil)/RSKP, Asstt. Manager/ (RSKP) A.A.O/RSKP & R.E (Civil)/ RSKP.
4. Validity of the Bid shall be 30 days from the date of Auction.
5. For any lapse on the part of the agency, the decision of the Commissioner (Sports) shall be final and binding upon the bidder and shall not be called in any question before any forum.
6. The agency/contractor will be liable for any Tax liability.
7. The GST shall be charged extra as applicable. GST will be paid separately along with every payment made to DDA.
8. Time allowed for lifting the materials shall be 30 days starting from the date of auction.
9. In case the material is not lifted within the stipulated period the earnest money deposited by the highest bidder shall be forfeited.
10. Mode of payment will either be through DD/Digital Payment only in F/O “CAU SPORTS DDA”.

SD/xxx
RE (Civil)/RSKP

File No. – SP/RSKP/0044/2021/F1/RSKP/829

Date: - 24.05.2024

Copy to:

1. Commissioner (Sports), DDA- For kind information please.
2. Director System, DDA. through E-mail. ddatender@dda.gov.in
3. Chairman Auction Committee.
4. Sr. A.O. (Sports), DDA.
5. Secretary Coordn. Cell.
6. Secretaries of all Sports Complexes with the request to arrange to place the auction notice on the notice board of the complexes.
7. Secretary (RSKP), AAO (RSKP), A.E. (Elect.), SO (Hort.), and Asstt. Manager for information please.
8. Notice Board/RSKP.

SD/xxx
RE (Civil), RSKP

दिल्ली विकास प्राधिकरण
राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर
पीतमपुरा, दिल्ली – 110034

फाइल संख्या - एसपी/आरएसकेपी/0044/2021/एफ1/आरएसकेपी/829

दिनांक:- 24.05.2024

नीलामी सूचना संख्या - 01/आरएसकेपी/डीडीए/2024-25 (पहला रिकॉल)

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा की अनुपयोगी और स्क्रेप सिविल/बागवानी/विद्युत मदों की नीलामी नीचे दर्शाई गई तिथि, समय एवं स्थान के आधार पर जहां है, जैसी है, पर होगी। सामग्री के विवरण का निरीक्षण राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर के नीलामी स्थल पर कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 02.30 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर में किया जा सकता है।

बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को रुपये जमा करने होंगे। ₹ 10000 / - “सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए” के पक्ष में डीडी के रूप में बयाना राशि के रूप में, जो नीलामी पूरी होने के बाद वापस की जाएगी, उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर जो अंतिम बोली राशि का 25% जमा करेगा और जीएसटी जमा करने के बाद लागू होगा। रुपये का पैसा ₹ 10000/- एहतियात के तौर पर पैसा। अंतिम बोली राशि के 75% की शेष राशि बैंक ड्राफ्ट प्लस जीएसटी के माध्यम से “सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए” के पक्ष में मांग/स्वीकृति पत्र जारी करने या उसके किसी भी विस्तार की तारीख से 20 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। यदि राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण एहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और इस खाते पर किसी भी मंच या अदालत द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को तदनुसार सूचित किया जाएगा। तथापि, आयुक्त (खेल), डीडीए बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली लगाने वाले को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वेन्यू ऑफ ऑक्शन : राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034

आरक्षित मूल्य : रु. 3, 41,516/- प्लस जीएसटी लागू।

दिनांक और समय : 11 जून 2024 दोपहर 2.30 बजे

शर्तें:

1. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
2. बोलीदाता के पास वैध जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
3. कार्य की समयावधि के दौरान किसी प्रकार की हानि/क्षति/चोट/दुर्घटना होने पर एजेंसी जिम्मेदार होगी काम और वस्तु को हटाना। एजेंसी सचिव / आरएसकेपी, ईई (सिविल) / आरएसकेपी, सहायक के आदेश / निर्देशों के अनुसार वस्तुओं को उठाएगी। प्रबंधक/(आरएसकेपी) एएओ/आरएसकेपी और जई (सिविल)/ आरएसकेपी ।
4. बोली की वैधता नीलामी की तिथि से 30 दिन की होगी।
5. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी है और किसी भी फोरम के समक्ष किसी भी प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।
6. एजेंसी/ठेकेदार किसी भी कर देयता के लिए उत्तरदायी होंगे।
7. जीएसटी लागू होने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। डीडीए को किए गए प्रत्येक भुगतान के साथ जीएसटी का अलग से भुगतान किया जाएगा।
8. सामग्री उठाने के लिए अनुमत समय नीलामी की तारीख से 30 दिन का होगा।
9. यदि निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री नहीं उठाई जाती है तो उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. भुगतान का तरीका केवल डीडी/डिजिटल भुगतान के माध्यम से “सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए” के पक्ष में होगा।

एसडी/xxx

आर.ई. (सिविल)/आरएसकेपी

में कॉपी:

1. आयुक्त (खेल), डीडीए- कृपया जानकारी के लिए।
2. निदेशक प्रणाली, डीडीए। ईमेल के माध्यम से ddatender@dda.gov.in
3. अध्यक्ष नीलामी समिति।
4. सीनियर ए.ओ. (खेल), डीडीए।
5. सचिव समन्वय. कक्षा।
6. सभी खेल परिसरों के सचिवों को इस अनुरोध के साथ कि नीलामी नोटिस को नोटिस पर रखने की व्यवस्था करें परिसरों का बोर्ड।
7. सचिव (आरएसकेपी), एएओ (आरएसकेपी), ए.ई. (चुनाव), एसओ (बागवानी), और सहायक। कृपया जानकारी के लिए प्रबंधक।
8. नोटिस बोर्ड/आरएसकेपी।

एसडी/xxx

आर.ई. (सिविल)/आरएसकेपी